

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण वैध अनुमत. क्रमांक बी. 2-22-छत्तीसगढ़ गवट/38 सि. से. दिल्ली, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 20 मार्च 2003—फाल्गुन 29, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (13).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (30), दिनांक 27 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

- (1) उक्त अधिसूचना में, शब्द “गैर सरकारी संगठन या” के पश्चात् शब्द “निजी भूमि स्वामी” अंतःस्थापित किया जाये.
- (2) उक्त अधिसूचना में, वर्तमान “स्पष्टीकरण” के स्थान पर निम्नांकित “स्पष्टीकरण” प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण :-

- (i) इस प्रयोजन के लिये “नये उद्योग” से तात्पर्य ऐसी लघु उद्योग इकाईयों से है जिनमें रूपए 1 करोड तक का पूंजीनिवेश हो, और 1-11-2001 को या उसके पश्चात् उत्पादन प्रारम्भ हो गया हो, तथा स्टाम्प ड्यूटी से भुगतान की छूट के संबंध में उद्योग आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणित किया जाये.

- (ii) ऐसे विलेखों जिनमें, संबंधित पक्षकारों द्वारा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के पूर्व स्टाम्प ड्यूटी चुका दी गई हो, उनमें स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं होगी.
- (iii) उक्त अधिसूचना दिनांक 1-11-2001 से प्रभावशील मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2003

क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/19/2002/वा. क. (पं.)/पांच (13), दिनांक 20-3-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 20th March 2003

NOTIFICATION

No. F-10/19/2002/CT (R)/V/(13).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899), the State Government hereby makes the following further amendment in this department's notification No. F-10/19/2002/CT (R)/V/(30), Dated 27-3-2002, namely :-

AMENDMENT

- (1) In the said notification, after the words "any semi-government organisation or" the words "private land owner" shall be inserted.
- (2) In the said notification, existing explanation shall be substituted by the following explanation, namely :-

Explanation :-

- (i) For this purpose "New Industries" means such small industrial units which have capital investment upto Rs. 1 crore, and gone into production on or after 1-11-2001 and such is certified by the Commissioner, Industries or officer authorised by him for exemption from the payment of stamp duty.
- (ii) No exemption from the payment of stamp duty shall be granted on such documents wherein concerning party has paid the stamp duty prior to the date of publication of this notification in the Gazette.
- (iii) The said notification shall deemed to have come into force with effect from 1-11-2001.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.